मैनुअल–04

भाग–2

संख्या: 3561/XXVI/छ:(2)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: सितम्बर, 2017

विषय- शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-858/XXVI/छ:(2)/2009, दिनांक 24.12.2012 के कम में उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन परिषद को अपनी संस्थाओं के निर्माण कार्यों को करने हेतु अधिकृत करते हुए कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण एवं मानकों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

2- उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड के परामर्श के कम में शासन स्तर पर अग्रिम विचारोपरान्त उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, निर्माण शाखा को सभी विभागों के धनराशि ₹10,00,00,000/- दस करोड़ की लागत तक के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था बनाये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। संस्था को अन्य विभागों के कार्य कराये जाने पर शासनादेश संख्या-330/XXVI/छ:(2)/2009, दिनांक 20 सितम्बर, 2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार सेन्टेज प्रभार देय होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

पृ0संख्या / XXVI/छ:(2)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, निर्माण शाखा, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

11000
-2017-18

सं0 562 /XXIV(1)/घोषणा संख्या 100/पत्रा0स0077/2017

प्रेषक,

प्रदीप जोशी
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
नेनूरखेडा, देहरादून।

बेसिक (नवसृजित) अनुभाग **देहरादूनः दिनांक 22 दिसम्बर 2017**

विषयः राजकीय प्राथमिक विद्यालय, डिम्मर, देहरादून के भवन का पुर्ननिर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या नियोजन(04)/14865–66/मा0 मु0मं0 घो0 1 – (01) / 2017–18 दिनांक 05 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद देहरादून में की गयी घोषणा संख्या –100/2017 " राजकीय प्राथमिक विद्यालय डिम्मर के जर्जर भवन का पुर्ननिर्माण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या –610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा टी0ए0सी0 कराने के उपरान्त अनुमोदित धनराशि ₹ 20.70 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत के आधार पर ₹8.28 लाख (रूपये आठ लाख अठाईस हजार मात्र)की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधो के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र पर निर्धारित मानकों के अनुसार सक्षम स्तर के अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) कार्य पर मदवार स्वीकृत आगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त नियमानुसार औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान मे रखते हुए नियमानुसार निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4) उक्त निर्माण कार्य नियमानुसार निर्माण सामग्री को उपयोग मे लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला मे अवश्य करा लिया जाये तथा नियमानुसार विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप नियमानुसार परीक्षणो उपरान्त सामग्री ही प्रयोग मे लायी जाये।

(5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमिता स्वीकार किये जाने योग्य नही होगी।

(6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें तथा शिक्षा विभाग उक्त निर्धारित मानकों का भी पालन किया जाय।

(7) सक्षम स्तर से स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य प्रारम्भ करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurment Rules,2017का सुसंगत प्राविधानों का नियमानुसार अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(8) विभागाध्यक्ष /सक्षम स्तर कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित अनुबन्धित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15–12–2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाय। वर्णित कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही लागत से अधिक धनराशि किसी भी दशा मे अनुमन्य नहीं होगी।

03. उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय , 01–सामान्य शिक्षा , 201–प्रारम्भिक शिक्षा, 03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, 24–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

04– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 107(म0)/XXVII(3)/2017–18 दिनांक 30–11–2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

सं0 (1) /XXIV(1)/घोषणा संख्या 86/पत्रा0स079/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. अपर सचिव, मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
04 जिलाधिकारी, देहरादून।
05 मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
06 मुख्य शिक्षा अधिकारी /जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–3
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी,)
उप सचिव

संख्या /8-2/3/पी/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2017-18

प्रेषक,

प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज
उत्तराखण्ड शासन।

सचिव
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग: देहरादून: दिनांक: दिसम्बर जनवरी 01, 2018

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपेक्षानुरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विभिन्न रेखीय विभागों के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से अधिकाधिक स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जाना है।

उक्त परिपेक्ष्य में मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29 नवम्बर 2017 को महात्मा गांधी नरेगा केन्द्राभिसरण की समीक्षा बैठक आहूत की गई थी जिसमें महोदय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक स्तर पर किये जाने तथा गुणवत्तापूर्ण केन्द्राभिसरण के उद्देश्य से रेखीय विभागों के साथ संयुक्त शासनादेश जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत विद्यालयों में खेल के मैदान, चाहरदीवारी, शौचालय निर्माण एवं पेयजल टैंक निर्माण को शिक्षा विभाग के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से किया जा सकता है। इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पेयजल विहीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची प्रेषित की गई है (संलग्न)। अतः विद्यालयी परिसर में उल्लिखित परिसम्पत्तियों का निर्माण निम्न दिशा-निर्देशानुसार किया जाय-

- विद्यालयों में खेल का मैदान, चाहरदीवारी, शौचालय निर्माण एवं पेयजल टैंक निर्माण को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेबर बजट में सम्मिलित किया जाय
- सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा नामित विभाग कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेंगे
- चयनित विद्यालय में होने वाला प्रत्येक निर्माण एक स्वतंत्र कार्य के रूप में होगा जिसका पृथक वर्क कोड जारी किया जायेगा तथा इसी के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा कार्यदायी संस्था के अनुरोध पर eMR जारी किये जायेंगे।
- विद्यालय में महात्मा गांधी नरेगा केन्द्राभिसरण अन्तर्गत होने वाले निर्माण हेतु श्रमांश का वहन महात्मा गांधी नरेगा से एवं सामग्री अंश का वहन यथासम्भव शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।
- महात्मा गांधी नरेगा द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि eFMS/PFMS/NeFMS के माध्यम से तथा शिक्षा विभाग द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सीधे कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
- विद्यालय में होने वाले निर्माण में महात्मा गांधी नरेगा अंश से होने वाला व्यय महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों तथा शिक्षा विभाग द्वारा होने वाला व्यय विभाग द्वारा समय-समय

पर जारी किये गये दिशा–निर्देशानुसार/प्रावधानों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

- विद्यालयी परिसर में होने वाले निर्माण की प्रगति का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के जिला कार्यक्रम समन्वयक/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा। साथ ही इसकी मासिक प्रगति से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा शासन को अवगत कराया जायेगा।
- विद्यालयी परिसर में निर्मित किये जाने वाले कार्यों का महात्मा गांधी नरेगा एवं विभागीय योजना के दिशा–निर्देशानुसार सामाजिक सम्प्रेक्षण (Social Audit) किया जायेगा।
- शिक्षा विभाग के यथाआवश्यकता कार्यदायी संस्था (PIA) बनने की स्थिति में जिला कार्यक्रम समन्वयक सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी (स्वीय विभाग) भी नामित कर सकते हैं जिनके द्वारा महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्त उल्लिखित दिशा–निर्देशों के आधार पर संलग्न सूची के दृष्टिगत विद्यालयी परिसर में यथावश्यक खेल का मैदान, चाहरदीवारी, शौचालय निर्माण एवं पेयजल टैंक निर्माण सम्बन्धी कार्यों को वित्तीय वर्ष 2018–19 की जनपद की कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए प्रथम त्रैमास में ही प्रारम्भ करवाते हुए यथासमय पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीया

(भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव
विद्यालयी शिक्षा

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज

संख्या : 850 /8–2/3/पी/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2017–18 तद्दिनांकित :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी एवं कुमाऊँ, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव/निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव/निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

2117
17/01/2018

सं0 536 /XXIV(1)/घोषणा संख्या 86/पत्रा0स0079/2015

प्रेषक,

डॉ0भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक (नवसृजित) अनुभाग देहरादूनः दिनांक 12 जनवरी, 2018

विषयः घोषणा संख्या –86/2017 के कियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या नियोजन(04)/13644/गा0 मु0मं0 घो0 1 – (01) / 2017–18 दिनांक 22 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद अल्मोड़ा में की गयी घोषणा संख्या –86/2017 "प्राथमिक स्कूल तलाड़ में भवन का निर्माण किया जायेगा", के कियान्वयन हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या –610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम अल्मोड़ा द्वारा टी0ए0सी0 कराने के उपरान्त अनुमोदित धनराशि ₹ 56.40 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत के आधार पर ₹22.40 लाख (रूपये बाईस लाख चालीस हजार मात्र)की धनराशि अग्रके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र पर निर्धारित मानकों के अनुसार सक्षम स्तर के अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी अवश्यक होगी।

(2) कार्य पर मदवार स्वीकृत आगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त नियमानुसार औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से ध्यानगत रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4) उक्त निर्माण कार्य में नियमानुसार निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाये तथा नियमानुसार विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होगी।

(6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2027/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें तथा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों का भी पालन किया जाय।

(7) स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य प्रारम्भ करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurment Rules,2017का नियमानुसार अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(8) विभागाध्यक्ष /सक्षम स्तर पर कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित अनुबन्धित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15–12–2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाय। वर्णित कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही लागत से अधिक धनराशि किसी भी दशा मे अनुमन्य नहीं होगी।

03. उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय , 01–सामान्य शिक्षा , 201–प्रारम्भिक शिक्षा, 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का चेकारा एवं सुदृढ़ीकरण, 24–वृहद् निर्माण कार्य के अन्तर्गत वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

04– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 85 (म0)/XXVII(3)/2017–18 दिनांक 16–10–2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया

(डॉ0भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

सं0 (1) /XXIV(1) /घोषणा संख्या 86/पत्रा0स079/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. अपर सचिव, मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
04 जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
05. मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
06 मुख्य शिक्षा अधिकारी /जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–3
11 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।

सं0– 676 /XXIV(1)/2017–15/201ऽटी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
जनूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून: दिनांक: 23 दिसम्बर, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य में संचालित आदर्श प्राथमिक विद्यालयों एवं आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु ₹ 5.00 करोड़ अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–04 नियोजन/13489–90/आ0वि0/2017–18 दिनांक 22 अगस्त, 2017, 04/ग्रन्ट(2)/2016–15/2015 ग0सू0 दिनांक 15.1.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के आदर्श प्राथमिक विद्यालयों एवं आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु अनुदान सं0–11, के अन्तर्गत 2202–01–101–04–08–42 अन्य व्यय विकास खण्ड स्तर मॉडल स्कूल के संचालनार्थ प्रावधानित धनराशि में से वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30 जून, 2017 के प्रस्तर 12 में उल्लिखित प्राविधानुसार ₹500.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके नियंत्रण पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(1) वित्त विभाग के शासनादेश सं0 810/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30.6.2017 में वर्णित शर्तों का अनुपालन नियंत्रण पर रखी जा रही धनराशि के दृष्टिगत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपरोक्त कार्ययोजना में व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाएं। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्यपाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) शासनादेशों के अनुरूप कार्य योजना स्थापित कर मितव्ययता अनुपालन किया जायेगा।

(7) माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या: पी0आई0एल0 201/2014 श्री दीपक सागर बनाम उत्तराखण्ड में दिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

02– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 08– विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल, 42–अन्य, राजस्व मद में विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धस0 125(म0)/XXVII/2017/(3)/2017 दिनांक 3–1–2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में प्रशासकीय विभाग के स्तर से ही जारी किये जा

भवदीय,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

सं0 /XXIV(1)/2015–टी0सी015/2015/ददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
04. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

व्यय विवरण

धनराशि लाख रू0 में

01	डायनिंग टेबल	₹16.71
02	विद्युत संयोजन	₹25.00
03	पेयजल संयोजन	₹19.50
04	पुस्तकालय	₹28.5
05	अग्निशमन यंत्र	₹28.5
06	कम्प्यूटर	₹154.35
07	भवन अनुश्रवण (अनुरक्षण)	₹128.69
08	प्रबन्धन	₹57.00
09	वाटर प्यूरीफायर	₹19.04
10	गत वर्षो के देयकों का अवशेष	₹ .65
11	रूम हीटर	₹17.92
12	पंखे	₹4.14
	योग	₹500.00

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में

वित्त अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 315-22 /मॉडल स्कूल बजट/2017–18 दिनांक 23 मार्च, 2018

विषय– **प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आवंटित धनराशि से सामग्री आदि क्रय किए जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 676/XXIV(1)/2017-15/2015T.C. दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन राज्य के राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालनार्थ रू0 500.00 लाख (रू0 पाँच करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके सापेक्ष इस कार्यालय के पत्र संख्या–नियोजन04/28573–80/आदर्श वि0 बजट/2017–18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 के द्वारा विभिन्न मदों में धनराशि आवंटित की गयी है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 एवं उप शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त अतिरिक्त मांग तथा मॉडल विद्यालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप निम्न मदों में अवशेष धनराशि दी जा रही है। शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 उत्तराखण्ड के निवर्तन में रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस धनराशि का व्यय निदेशालय के पत्र संख्या–नियोजन(04)/29366–7/मॉडल स्कूल/2017–18 दिनांक 17 फरवरी, 2018 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	जनपद	पेयजल संयोजन	विद्युत संयोजन (विद्युत बिल भुगतान)	वॉटर प्यूरिफायर	पंखे	कुल धनराशि
0	1	2	3	4	5	6
1	नैनीताल	0.15000	0.17000	0.10000	0.26600	0.68600
	योग	0.15000	0.17000	0.10000	0.26600	0.68600

- स्वीकृत धनराशि संलग्न विवरणानुसार तत्काल उप शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध की जाएगी एवं यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को अवमुक्त की गयी धनराशि को यथाशीघ्र व्यय कर उपयोग प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। स्वीकृत की प्रत्याशा में कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं किया जायेगा और किसी मद में बचने वाली धनराशि को 31 मार्च, 2018 तक ऑनलाईन (Online) समर्पण करते हुए निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार धनराशि पृथक अलॉटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किए जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आप को ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आप को प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाए और तत्काल निदेशालय को वापस किया जायेगा।
- वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य एस0एम0सी0 के माध्यम से कराये जायेंगे। व्यय उत्तराखण्ड अध्याप्ति नियमावली 2017 का पालन सुनिशिचित किया जाय।
- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 08–विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल, 42 अन्य व्यय मद में विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– 1–. आवंटन आई0डी0।
2– शासनादेश की प्रति।
3– विकासखण्डवार/विद्यालयवार विवरण।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0/नियोजन04/ /आदर्श वि0 बजट/2017–18 तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेल नगर देहरादून।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी नैनीताल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 नैनीताल।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0।

(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

2268
21/02/2018

सँ0 798 /XXIV /2017–35 /2016

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग **देहरादूनः दिनांकः** 02 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2018

विषयः रा0प्रा0वि0 मानडगॉव के पुनर्निर्माण की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–बेसिक–नियोजन (4–2)/20738/बजट (139) /2017–18 दिनांक 16 नवम्बर 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में बृहत निर्माण कार्य हेतु अनुदान सँ0–11, पूजीगत के अन्तर्गत प्राविधानित ₹40000 हजार (रूपये चार करोड़ मात्र) धनराशि में से अवशेष ₹369.34 लाख के सापेक्ष रा0प्रा0वि0 मानडगॉव उत्तरकाशी के भवन पुनर्निर्माण हेतु द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 3,08,640.00 (रूपये तीन लाख आठ हजार छैंयालीस मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किए जाय।

(2) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखने हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(3) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(4) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति कम आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

03. उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 पूंजीगत के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय , 01–सामान्य शिक्षा , 201–प्रारम्भिक शिक्षा, 03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, 24–वृहद् निर्माण कार्य के अन्तर्गत वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

04– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 610/XXVII(1)/2016 दिनांक 30 जून, 2017 में वर्णित प्राविधान के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

सं0 (i)/xxiv /2016–35/2016 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
05. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. वित्त अनुभाग–5
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

2273
5/2/2018

सं0 232 /XXIV /2017–169 /2014टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
नन्नूरखेड़ा, देहरादून

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग **देहरादून: दिनांक: 20 फरवरी, 2018**

विषयः रा0प्रा0वि0 बाटुला के पुनर्निर्माण को अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक बेसिक–नियोजन (04)/13488/बजट (मु0म0घो) /2017–18 दिनांक 22 अगस्त 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में वृहत निर्माण कार्य हेतु अनुदान सं0–11, पूंजीगत के अन्तर्गत प्राविधानित ₹40000 हजार (रूपये चार करोड़ मात्र) धनराशि में से वि0 वि0 शासनादेश 610/3(150)/XXVIII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्यय की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने संबंधी दिशा निर्देशो के प्रस्तर 7 में उल्लिखित प्राविधानुसार अनुमानित लागत के न्यूनतम 40 प्रतिशत प्रथम किश्त में, 40 प्रतिशत द्वितीय किश्त में एवं शेष तृतीय किश्त के रूप में प्रदान की जायेगी तदक्रम में अनुमोदित आगणित ₹ 18.92 के सापेक्ष द्वितीय किस्त ₹7.3 लाख के सापेक्ष (रूपये सात लाख इक्तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किए जाय।

(2) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरें/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(3) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये

(4) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति क्रम आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की संस्तुति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

03. उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 पूंजीगत के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय, 01 सामान्य शिक्षा, 201–प्रारम्भिक शिक्षा, 03–प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, 24–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

04— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 610/XXVII(1)/2016 दिनांक 30 जून, 2017 में वर्णित प्राविधान के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

सं0 (i)/xxiv /2016—35/2016 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी—1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ।
05. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. वित्त अनुभाग—5
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

सं0 192 /XXIV /2018-12 /2016

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून: दिनांक: 05 ~~फरवरी~~ मार्च, 2018

विषय: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेड़, विकास खण्ड मिलंगना टिहरी गढ़वाल के भवन के पुर्ननिर्माण की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–बेसिक–निर्माण (4–2)/26435/बजट (139–2)/2017–18 दिनांक 18 जनवरी, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में बृहत निर्माण कार्य हेतु अनुदान सं0–11, पूंजीगत के अन्तर्गत प्राविधानित ₹40000 हजार (रूपये चार करोड़ मात्र) धनराशि में से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेड़, विकास खण्ड मिलंगना टिहरी गढ़वाल के भवन के पुर्ननिर्माण हेतु अनुमोदित धनराशि ₹ 26.26 लाख की द्वितीय किस्त के रूप में ₹10.50 लाख (रूपये दस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निदर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)कार्य पर गदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी गदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किए जाय।

(2)कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को ध्यानगत रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(3)निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(4)विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिस्पाजल एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5)स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति कम आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(6)मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

03. उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 पूंजीगत के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 201–प्रारम्भिक शिक्षा, 03–प्रारम्भिक विद्यालयों का नवीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, 24–बृहद् निर्माण कार्य के अन्तर्गत बृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

04– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 510/XXVII(1)/2016 दिनांक 30 जून, 2017 में वर्णित प्राविधान के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

सं0 (i)/xxiv /2016–35/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
05. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. वित्त अनुभाग–5
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

2603
16/3/2018

सं0 218 /XXIV(I)/2018115XXIV(1) /2017

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक (नवसृजित) अनुभाग **देहरादूनः दिनांक 15 मार्च, 2018**

विषयः रा0प्रा0वि0 सिदरी तथा रा0प्रा0वि0 फफराला (सिदरी) उत्तरकाशी में चाहरदीवारी हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या नियोजन(04)/16295/बजट(139) / 2017–18 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रा0प्रा0वि0 सिदरी तथा रा0प्रा0वि0 फफराला (सिदरी) में चाहरदीवारी के निर्माण हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या –610 /3 (150) XXVII (1) /2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा टी0ए0सी0 कराने के उपरान्त अनुमोदित ₹ 22.96 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत के आधार पर ₹9.184 लाख (रूपये नौ लाख एक सौ चौरासी मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र पर निर्धारित मानको के अनुसार सक्षम स्तर के अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) कार्य पर मदवार स्वीकृत आगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त नियमानुसार औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान मे रखते हुए नियमानुसार निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4) उक्त निर्माण कार्य नियमानुसार निर्माण सामग्री को उपयोग मे लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला मे अवश्य करा लिया जाये तथा नियमानुसार विशिष्टियों/आनकों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग मे लायी जाये।

(5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमिता स्वीकार किये जाने योग्य नही होगी।

(6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें तथा शिक्षा विभाग उक्त निर्धारित मानकों का भी पालन किया जाय।

(7) स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य प्रारम्भ करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurment Rules,2017का नियमानुसार अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(8) विभागाध्यक्ष / सक्षम स्तर कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित अनुबन्धित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-12-2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाय। वर्णित कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही लागत से अधिक धनराशि किसी भी दशा मे अनुमन्य नहीं होगी।

03. उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय , 01–सामान्य शिक्षा , 201–प्रारम्भिक शिक्षा, 03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, 24–वृहद् निर्माण कार्य के अन्तर्गत वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

04– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–195(म0)/XXVII(3)/2017–18 दिनांक 9–3–2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

सं0 (1) 2017 / XXIV(1) 115 / 2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1 / 105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
04. मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
05. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
06. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
07. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
08. वित्त अनुभाग–3
09. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

सं0 338 /XXIV /2017-35 /2018

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग **देहरादूनः दिनांकः** 19 **मार्च, 2018**

विषयः राजकीय प्राथमिक विद्यालय बजीना में सुरक्षा दीवार की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-बेसिक-नियोजन (4-3)/30200/बजट (139-2)/2017-18 दिनांक 08 मार्च, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में वृहद निर्माण कार्य हेतु अनुदान सं0-11, पूंजीगत के अन्तर्गत प्राविधानित ₹40000 हजार (रूपये चार करोड़ मात्र) धनराशि में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बजीना में सुरक्षा दीवार हेतु द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 4,32000.00 (रूपये चार लाख बतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किए जाय।

(2) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(3) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जावे तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(4) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति कम आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

03. उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 पूंजीगत के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01-सामान्य शिक्षा, 201-प्रारम्भिक शिक्षा, 03-प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

04- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 610/XXVII(1)/2016 दिनांक 30 जून, 2017 में वर्णित प्राविधान के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

सं0 (i)/xxiv /2016–35/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
05. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,–सचिवालय परिसर देहरादून।
09. वित्त अनुभाग–5
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

2667
27-3-18

सं0 350 /XXIV /2018–घो0स01844/2015

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून: दिनांक: 26 मार्च, 2018

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या–1844/2015 के कियान्वयन हेतु द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–बेसिक–नियोजन (4–3)/26796/बजट (139)/2017-18 दिनांक 23 फरवरी, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान प्राथमिक विद्यालय का वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में बृहत निर्माण कार्य हेतु अनुदान सं0–11, पूंजीगत के अन्तर्गत प्राविधानित ₹40000 हजार (रूपये चार करोड़ मात्र) धनराशि में से मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद अल्मोड़ा में की गयी घोषणा संख्या–1844/2015 राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुजरगढ़ी लाड़ीखेत भवन निर्माण हेतु में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुजरगढ़ी लाड़ीखेत भवन निर्माण हेतु द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 26.07 (रूपये छब्बीस लाख सात हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1)कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किए जाय।

(2)कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(3)निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(4)विस्तृत आगणन मे प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5)स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति कम आगणन के प्राविधानों मे परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(6)मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

03. उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 पूंजीगत के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 201–प्रारम्भिक शिक्षा, 03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, 24–वृहद् निर्माण कार्य के अन्तर्गत वृहत निर्माण के मद मे डाला जायेगा।

04– यह आदेश वित्त विभाग के शा0 610 /XXVII(J)/2017-18 दिनांक 30/3/2017 में प्राप्त प्राविधानुसार निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
24.3.2018
(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव

सं0 (i)/xxiv /2018–घो0स0/2015 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
05. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
06. बजट राजकीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. वित्त अनुभाग–5
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

2668
28/3/2018

सॅ0 355 /XXIV /2018–चो0स0 1844/2015

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
मनूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 27 मार्च, 2018

विषयः राजकीय प्राथमिक विद्यालय लखनी विकास खण्ड गरूड़ बागेश्वर एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जखेड़ विकासखण्ड कीर्तिनगर हेतु वृहद मरम्मत कार्य की द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोद

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–बेसिक–नियोजन (4-3)/30919/बजट (139–2) /2017–18 दिनांक 17 मार्च 2018 एवं 31225/बजट (139-2) /2017–18 दिनांक 20 मार्च, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में बृहत निर्माण कार्य हेतु अनुदान सॅ0–11, पूंजीगत के अन्तर्गत प्राविधानित ₹40000 हजार (रूपये चार करोड मात्र) धनराशि में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय लखनी विकास खण्ड गरूड़ हेतु द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 2,56,400.00 (रूपये दो लाख छप्पन हजार चार सौ मात्र) एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जखेड़ विकासखण्ड कीर्तिनगर के बृहद मरम्मत कार्य हेतु द्वितीय किस्त ₹ 2,40,000.00 (रूपये दो लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1)कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किए जाय

(2)कार्य करने से पूर्व राज्य स्तरीय औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(3)निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(4)विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5)स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति कम आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(6)मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

03. उक्त से सम्बन्धित व्यय वाला वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 पूंजीगत के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 201–प्रारम्भिक शिक्षा, 03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, 24–बृहद् निर्माण कार्य के अन्तर्गत बृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

04– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/XXVII(1)/2016 दिनांक 30 जून, 2017 में वर्णित प्राविधान के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
24.3.2018
(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव

सं0 (i)/xxiv /2018–घो0स0/2015 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर/टिहरी।
05. जिलाधिकारी, बागेश्वर/टिहरी।
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. वित्त अनुभाग–5
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

2669
28/3/2018

सं0 371 /XXIV /2018-17 /2018

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून: दिनांक: 27 मार्च, 2018

विषय: जनपद अल्मोड़ा विकास खण्ड धौलादेवी के रा0प्रा0वि0बीना एवं रा0उ0प्रा0वि0बीना के मरम्मत हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक बेसिक-निदेशक (4-3)/26796/बजट (139) /2017-18 दिनांक 23 फरवरी, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में बृहत निर्माण कार्य हेतु अनुदान सं0-11, मूलीकरण के अन्तर्गत प्राविधानित ₹40000 हजार (रुपये चार करोड़ मात्र) धनराशि में से जनपद अल्मोड़ के रा0प्रा0वि0बीना, विकास खण्ड धौलादेवी हेतु आंवटित धनराशि ₹7.84 लाख एवं रा0उ0प्रा0वि0 बीना विकास खण्ड, धौलादेवी हेतु ₹ 4.18 लाख अर्थात कुल धनराशि ₹12.02 लाख (रुपये बारह लाख दो हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से आधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(2) कार्य करने से पूर्व तकनीक औचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(3) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(4) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं नक्शों हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्व से ही उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति का आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

02. उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0 11 मूलीकरण के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01-सामान्य शिक्षा, 201-प्रारम्भिक शिक्षा, 03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, 24-बृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत बृहत निर्माण के खाते डाला जायेगा।

03- यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशा0 242/XXV(03)/2017-18 दिनांक 21-3-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

3262
30/3/17

पत्र संख्या 353/अ.मु.स./नि.स./वि.शि./2017

प्रेषक,

डॉ. रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

विद्यालयी शिक्षा विभाग

देहरादून: दिनांक 29 मार्च, 2017

महोदय,

आप अवगत हैं कि अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति संबंधी चयन प्रक्रिया में शासन के आदेश संख्या 1921/XXIV-4/2017 दिनांक 04.01.2017 द्वारा संशोधन किया गया है। किन्तु संज्ञान में लाया गया है कि मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा संशोधित विनियम के आधार पर नियुक्तियाँ न करते हुए पुरानी प्रक्रिया को ही अपनाया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है।

अतः एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों से सम्बन्धित चल रही प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाय व इसकी सूचना शासन को प्रेषित की जाय। इसके साथ ही दिनांक 1 जनवरी से अद्यतन अवधि में की गई नियुक्तियों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाय। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डॉ. रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(डॉ. रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषक,

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड ।

पत्रांक:– 06(4)/87/ 46606-09 /2016–17 दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय:– **अनुदान प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति सम्बन्धी चयन प्रकिया में तत्काल प्रभाव से रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–353/अ.मु.श./नि.स./वि.शि./2017 दिनांक 29.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति सम्बन्धित चल रही चयन प्रकिया को तत्काल प्रभाव से रोके जाने के निर्देश हुए हैं।

सूच्य है कि अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति सम्बन्धी चयन प्रकिया में शासन की अधिसूचना संख्या–1921/XXIV–4/2017–1(1)/2016 दिनांक 04.01.2017 द्वारा विनियम संशोधन किया गया है। किन्तु संज्ञान में आया है कि संशोधित विनियम के आधार पर नियुक्तियाँ न करते हुए पुरानी प्रकिया को अपनाया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है।

अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्तियों से सम्बन्धित चल रही चयन प्रकिया को तत्काल प्रभाव से शासन द्वारा रोक लगा दी गयी है। जनपद स्तर पर दिनांक 01 जनवरी 2017 से अद्यतन अवधि तक की गई नियुक्तियों का विवरण तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समयान्तर्गत शासन को उक्त सूचना से अवगत कराया जा सके।

अतः उक्त शासनादेशानुसार तत्काल नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्त अधीनस्थ अधिकारी एवं अशासकीय मान्यता/सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को भी तद्नुसार अवगत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–शासनादेश की प्रति।

भवदीय,
(आर0के0कुंवर) 31.3.2017
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0 06(4)/87/46606-09 /2016–17 दिनांक–उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, मनुरखेड़ा, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल नैनीताल।

(आर0के0कुंवर) 31.3.2017
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

Teacher Appointment (2017-18).doc 18

11
02/04/2018

संख्या 265 XXIV/(1)/2017–02/2015

प्रेषक,

प्रदीप जोशी
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में टोकन अनुदान में सम्मिलित किये गये विद्यालयों को टोकन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या अर्थ 2/29923/5 क(02)/2017–18/ दिनांक 03 मार्च, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में टोकन अनुदान में सम्मिलित किये गये विद्यालयों को टोकन अनुदान दिये जाने सम्बन्धित है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में टोकन अनुदान में सम्मिलित किये गये विद्यालयों को शासनादेश संख्या 52/XXIV–4/2017–10(66)/2015 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के पैरा–2 के 1 (1) में आवर्तक सहायता टोकन अनुदान में चयनित जूनियर हाई स्कूल स्तर पर प्रति छात्र ₹ 1000/– प्रति वर्ष अथवा अधिकत ₹ 1,00,000/– प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, के अनुसार प्रोत्साहन राशि प्रति विद्यालय को चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में टोकन के रूप निम्नानुसार दिये जाने अनुमति प्रदान की जाती है:–

क0 स0	विद्यालय /जनपद का नाम	शासनादेश संख्या	टोकन अनुदान की राशि
1	विवेकानन्द शिक्षा निकेतन जू0हा0स्कूल रूड़की, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या 156(1)/14 / XXIV –4–6 (15)/2014 दिनांक 28–03–2014	₹ 1.00 लाख
2.	द्रोण जू0हा0स्कूल, डोईवाला, जनपद देहरादून।	शासनादेश संख्या 168(1)/ XXIV –4 /दिनांक 04–03–2014	₹ 1.00 लाख
3	मनवता उ0प्रा0वि0 गांधीनगर बिन्दूखत्ता लालकुआं नैनीताल (जूनियर स्तर)	शासनादेश संख्या 67/ XXIV –4–/2014 दिनांक 04–02–2014	₹ 88.00 हजार
		कुल योग	₹ 288 .00 हजार

02– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202 –सामान्य शिक्षा, 01 –प्रारम्भिक शिक्षा, 102 –अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07 –विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालय 02 –सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालय के अधीन मानक मद –43 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0 262 (म0)/XXVII(3)/2018 दिनांक 28 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव,

सं0 (I)/XXIV(1)/2017–25/2007 टी0सी0 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी , देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल।
04. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार /नैनीताल उत्तराखण्ड।
05. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून हरिद्वार/नैनीताल उत्तराखण्ड
06. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
07 विवेकानन्द शिक्षा निकेतन जू0हा0स्कूल रूड़की हरिद्वार।
08– द्रोण जू0हा0स्कूलडोईवाला देहरादून।
09– जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय चित्रकूट तिवारीनगर बिन्दूखत्ता नैनीताल।
10– मानवता उ0प्रा0वि0 गांधीनगर बिन्दूखत्ता, लालकुआं, नैनीताल।
11 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
सयुक्त सचिव।

संख्या: /XI/18/56(21)2007 TCI

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक: 16 जुलाई, 2018

विषय:– रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/2014 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का विधायक निधि योजनान्तर्गत व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TCI दिनांक 05.12.2017 द्वारा निर्गत विधायक निधि मार्गनिर्देशिका के बिन्दु 9.1 में निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है।

9.1 रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि तथा स्वच्छ भारत मिशन के दृष्टिगत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालय फर्नीचर से संतृप्त हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रकिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

शासन के उक्त आदेश के उक्त बिन्दु को निम्नानुसार संशोधित करने का मुझे निदेश हुआ है :–

9.1 रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल, जल शोधक यंत्र (Water Purifier), फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Lab Equipment हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (**Solid and liquid waste management**), सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले के निर्माण हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अपना **Solid and liquid waste management plan** बनाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालयों में उक्त आधारभूत अवस्थापना सुविधायें संतृप्त हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रकिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

उक्त 10% की धनराशि का उपयोग केवल शासकीय विद्यालयों में ही किया जायेगा।

उक्त शासनादेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TCI दिनांक 05.12.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या: 1716/XI/18/56(21)2004 TCL तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, ए0 एण्ड ई0, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी।
3. मा0 सदस्य, विधानसभा, उत्तराखण्ड द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधायी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम विजय यादव)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग
संख्या 690 / XXIV(1) / न0सृ0अनु0 / 149 / 2017 T.C.II
देहरादूनः दिनांक 30 जुलाई, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000–01 से तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वर्ष 2009–10 से भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में संचालित हैं। वर्तमान में दोनों कार्यक्रमों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में व्ययभार वहन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या D.O. No.2-16/2017-EE-3 दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के द्वारा उक्त दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत करायी जा रही गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, संसाधनों के सुनियोजत उपयोग एवं व्यय भार को कम करने के दृष्टिगत राज्य एवं जनपद स्तर पर दोनों सोसायटी के एकीकरण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् को यथावत् रखते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का इसमें विलय किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान के संचालन हेतु गठित सोसायटी) की नियमावली के बिन्दु–4 (Objects) के अनुसार माध्यमिक स्तर पर संचालित होने वाले केन्द्र सहायतित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा तथा बिन्दु–5 (Functions) में भी माध्यमिक स्तर पर संचालित क्रियाकलापों को समाहित किया जायेगा।

अतएव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् में एतद्द्वारा विलय किया जाता है।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या 690 (1) / XXIV(1) / न0सृ0अनु0 / 149 / 2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

2– निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

3– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

4– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, ननेरखेड़ा, देहरादून को उनके पत्रांक / अ0रा0प0नि0 / 1239 / प्रशा0–नवीन ढाँचा / 2017–18 दिनांक 29 नवम्बर, 2017 के क्रम में।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

संख्याः 1333/280–रा0यो0आ0 (I.R.I. M.O.U.)/2018

प्रेषक,

प्रभारी सचिव,
नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेष्य,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

राज्य योजना आयोग। देहरादूनः दिनांकः 20 सितम्बर, 2018

विषयः निर्माण कार्यो की सामग्री परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में एम0ओ0यू0।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराया जाना है कि नियोजन विभाग द्वारा राज्य में किये जा रहे निर्माण कार्यो के संबंध में नियोजन विभाग के अंतर्गत राज्य योजना आयोग एवं सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की (उत्तराखण्ड) के मध्य M.O.U. दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को किया जा चुका है।

2– इस संबंध में यदि आपके विभाग में कोई निर्माण कार्य हो तो उक्तानुसार तत्संबंधी निर्माण कार्य का तृतीय पक्ष से सामग्री परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी कार्य कराया जा सकता है। उक्त M.O.U. राज्य योजना आयोग की Website: spc.uk.gov.in में Upload कर दी गई है।

भवदीय,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
प्रभारी सचिव।

20-09-2018

1281
20/11/2018

संख्या 807 / XXIV(1) / न0सु0अनु0 / 14 / 2009

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
नानूरखेड़ा, देहरादून

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग — देहरादून: दिनांक 12 नवम्बर, 2018

विषयः— राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण कार्यालय को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक—विविध(08) / 13034 / रा0स0मि0(73) / 2018—19 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण में कार्यरत स्थाई कार्मिक / अधिकारी को उनके मूल विभाग में भेजने हेतु निर्णय लेने व राज्य साक्षरता कार्यालय के पास जो भौतिक संसाधन हैं उन्हें विभाग को हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण में जो भी स्थायी कार्मिक / अधिकारी कार्यरत हैं उन्हें उनके मूल विभाग में वापस करते हुए राज्य साक्षरता मिशन कार्यालय के पास जो भौतिक संसाधन हैं उन्हें विभाग को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

2169
29/01/2018

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग
संख्या 162/XXIV(1)/न0सृ0अनु0/14/2009
देहरादून: दिनांक 25 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

राज्य के छः जनपदों यथा बागेश्वर, चम्पावत, हरिद्वार, टिहरी, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी में संचालित "साक्षर भारत कार्यक्रम" केन्द्र पोषित योजना की अवधि भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक विस्तारित की गई है। अतः भारत सरकार से मानदेय भुगतान हेतु धनराशि प्राप्त न होने के कारण शिक्षा प्रेरकों को माह जून, 2016 से सितम्बर, 2017 तक 16 माह का बकाया भुगतान तथा पुनः विस्तारित अवधि माह अक्टूबर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक के मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। शिक्षा प्रेरकों को माह सितम्बर, 2017 तक का बकाया मानदेय भुगतान की धनराशि ₹ 16.49 करोड़ है। शिक्षा प्रेरकों द्वारा निरन्तर मानदेय भुगतान का अनुरोध किया जा रहा है परन्तु राज्य सरकार उक्त योजना के व्ययभार को वहन करने की स्थिति में नहीं है।

2— अतएव उक्तानुसार भारत सरकार के सहयोग से राज्य में संचालित उक्त "साक्षर भारत कार्यक्रम" योजना को दिनांक 01—01—2018 से समाप्त किया जाता है।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या 162(1)/XXIV/न0सृ0अनु0/14/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित है कि माह दिसम्बर, 2017 तक के प्रेरक मानदेय भुगतान अर्जित ब्याज की धनराशि से किये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

2— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

3— राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

4— परियोजना प्रबन्धक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, मयूर विहार, देहरादून।

5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव